


२४/१/२६

अधिवक्ता अपीलाण्ट उप०। अधिवक्ता अपीलाण्ट
की आदेशीत तिनांत ३१/८/२०२३ द्वारा रेस्यो
सं. ६ से ११ के सामन पेश करने हेतु निर्देशित किया
गया, लेकिन अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा आदेशीत
तक उस आदेश की पाठना नहीं की थी। अधिवक्ता
अपीलाण्ट की उक्त आदेश की पाठना हेतु लगभग
१९ अवसर प्रदान किये गये, लेकिन अधिवक्ता अपीलाण्ट
द्वारा पानबुशुकर न्यायालय आदेशों की तहमील

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज शिवनाथसिंह ग/१ तुलसीपसिंह अपील संख्या ०१/२०२१</p>	<p>नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p>नही ही गयी / अतः अधिवक्ता अपीलानुष्ठ द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना करने से उक्त अपील अदम तकमील में खारिज की जाती है। पत्रावली फौजदार नुमाद होकर नम्बर से एक हुक्म की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">  राजेश्वर अपील प्राधिकारी पाली </p>	